XXX-Part-21

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक **03/27/03/17501/14**

यह प्रमाणित किया जाता है कि देव लक्ष्मी शैक्षणिक संस्थान, समिति जो 22, शांति विहार कॉलोनी, कनाड़िया रोड, इन्दौर तहसील इन्दौर जिला इन्दौर में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 27/12/2014 को पंजीयित की गई है।

दिनांक सत्ताईस माह दिसम्बर सन् 2014

सहायक पंजीयक फर्म्स एवम् संस्थाएं इन्दौर संभाग

इन्दौर

(डॉ. एस. स्थलेकर)

अति. रजिस्ट्रार

समितियों के रजिस्ट्रार

इन्दौर

प्रारूप क्रमांक 1

(देखिये नियम 3)

समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन-पत्र

1. **सोसायटी का नाम** देव लक्ष्मी शैक्षणिक संस्थान **होगा।**

2. **सोसायटी का कार्यालय**
(पूर्ण पता भवन क्रमांक सहित) 22,शांति विहार कॉलोनी , कनाडिया रोड , इन्दौर 452001
तहसील इन्दौर **जिला** इन्दौर **मध्य प्रदेश में स्थित होगा।**
सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 9827641450 **ईमेल आईडी**
rht.khndlwl@gmail.com

3. **सोसायटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:**

1 प्राथमिक, सैकण्डरी तथा हायर सैकण्डरी विद्यालय स्थापित करना तथा संचालित करना

2 लड़के और लड़कियों को एक व्यापक और एक प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करना ताकि आधुनिक समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिये उन्हें सक्षम बनाया जा सके

3 छात्रों/छात्राओं के लिए हॉस्टल स्थापित करना तथा संचालित करना

4 सामाजिक, धार्मिक , सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए

5 जागरूकता उत्पन्नद्द् करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए भागीदारी कार्यक्रमों का विकास

4. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंध "शासक परिषद, संचालकों, सभा या शासी-निकाय को सौंपा गया है। जिनके नाम पते तथा धंधों का उल्लेख निम्नांकित है:-

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1	नीरज पाटीदार	राधेश्याम पाटीदार	अध्यक्ष	26, श्रीराम नगर,इन्दौर, इन्दौर, इन्दौर, Madhya Pradesh	व्यवसाय
2	सचिन हॉडिया	गिर्जेश हॉडिया	उपाध्यक्ष	गुलाना, जिला शाजापुर, शाजापुर, शाजापुर, Madhya Pradesh	व्यवसाय
3	महेश पाटीदार	दुर्गा प्रसाद पाटीदार	सचिव	166, ग्राम ढाकनी, सारंगपुर, राजगढ, Madhya Pradesh	व्यवसाय
				26, श्रीराम नगर,इन्दौर,	

4	देवव्रत पाटीदार	रामचंद्र पाटीदार	कोषाध्यक्ष	इन्दौर, इन्दौर, Madhya Pradesh	व्यवसाय
5	होकम सिंह पाटीदार	गोपाल सिंह पाटीदार	संयुक्त सचिव	11/2, ग्राम नारायणपुर, सारंगपुर, राजगढ़, Madhya Pradesh	व्यवसाय
6	कैलाश गोठी	मानसिंह गोठी	सदस्य	21, शांति विहार कॉलोनी, इन्दौर, इन्दौर, Madhya Pradesh	व्यवसाय
7	लक्ष्मी बाई पाटीदार	रामचंद्र पाटीदार	सदस्य	22, शांति विहार कॉलोनी, इन्दौर, इन्दौर, Madhya Pradesh	ग्रहिणी

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है।

हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/ पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	नीरज पाटीदार , राधेश्याम पाटीदार, 26, श्रीराम नगर,इन्दौर, इन्दौर, इन्दौर, Madhya Pradesh	
2	सचिन हॉडिया , गिर्जेश हॉडिया, गुलाना, जिला शाजापुर, शाजापुर, शाजापुर, Madhya Pradesh	
3	महेश पाटीदार , दुर्गा प्रसाद पाटीदार, 166, ग्राम ढाकनी, सारंगपुर, राजगढ़, Madhya Pradesh	
4	देवव्रत पाटीदार , रामचंद्र पाटीदार, 26, श्रीराम नगर,इन्दौर, इन्दौर, इन्दौर, Madhya Pradesh	
5	होकम सिंह पाटीदार , गोपाल सिंह पाटीदार, 11/2, ग्राम नारायणपुर, सारंगपुर, राजगढ़, Madhya Pradesh	

6	कैलाश गोठी , मानसिंह गोठी, 21, शांति विहार कॉलोनी, इन्दौर, इन्दौर, Madhya Pradesh	
7	लक्ष्मी बाई पाटीदार , रामचंद्र पाटीदार, 22, शांति विहार कॉलोनी, इन्दौर, इन्दौर, Madhya Pradesh	

सोसाइटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करे

चालान क्रमांक
SBIN00061591475101220144 7177

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Permanent Account Number पहचान पत्र का क्रमांक BUOPP2532D

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Voters Identity card पते का क्रमांक WMZ0446344

Uploaded ID Proof
Uploaded Address Proof

साक्षी:-

हस्ताक्षर ....

साक्षी का नाम :- रोहित खण्डेलवाल

साक्षी का पिता/पति:- पुरुषोत्तम खण्डेलवाल

पूर्ण पता :- 504, वर्षा अपार्टमेंट, 10/1/1 साउथ तुकोगंज, इन्दौर

नियमावली

1.	सोसायटी का नाम देव लक्ष्मी शैक्षणिक संस्थान होगा।
2.	सोसायटी का कार्यालय (पूर्ण पता भवन क्रमांक सहित) 22,शांति विहार कॉलोनी , कनाडिया रोड , इन्दौर 452001 तहसील इन्दौर जिला इन्दौर मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र इन्दौर होगा।
4.	**सोसायटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:**
1	प्राथमिक, सैकण्डरी तथा हायर सैकण्डरी विद्यालय स्थापित करना तथा संचालित करना
2	लड़के और लड़कियों को एक व्यापक और एक प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करना ताकि आधुनिक समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिये उन्हें सक्षम बनाया जा सके
3	छात्रों/छात्राओं के लिए हॉस्टल स्थापित करना तथा संचालित करना
4	सामाजिक, धार्मिक , सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए
5	जागरूकता उत्पन्नद्द् करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए भागीदारी कार्यक्रमों का विकास
5.	**सदस्यता- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे:-**
	(अ) संरक्षक सदस्य:- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये 50000 या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किस्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।
	(ब) आजीवन सदस्य- जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रुपये 30000 या अधिक देकर, वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 20000 या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।
	(स) साधारण सदस्य- जो व्यक्ति रुपये 1000 माह रुपये 12000 प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा व साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा, जिसके लिये उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।
	सम्माननीय सदस्य- संस्था की प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।
6.	**सदस्यता की प्राप्ति**-प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा| ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

mponline.gov.in/Portal/services/firmsandsociety/OrgaUser/frmViewSocietyNiyamwali.aspx?AppNo=S3150101729810122014&langid=hi-IN&m=

7.	**सदस्यों की योग्यता-** संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:- 1.आयु 18 वर्ष से कम न हो। 2. भारतीय नागरिक हो। 3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो। 4.सद्चरित्र हो तथा मधपान न करता हो।
8.	**सदस्यता की समाप्ति-** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी:- 1. मृत्यु हो जाने पर। 2. पागल हो जाने पर। 3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर। 4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर। 5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।
9.	**संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:-** 1.प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर 2.वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर। 3.वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।
10.	**(अ) साधारण सभा-** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा। **(ब)प्रबंधकारिणी सभा-** प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी। **(स) विशेष-** यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।
11.	**साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:-** (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

mponline.gov.in/Portal/services/firmsandsociety/OrgaUser/frmViewSocietyNiyamwali.aspx?AppNo=S3150101729610122014&langid=hi-IN&m=

(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. **प्रबंधकारिणी का गठन-** नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1)अध्यक्ष -1,(2)उपाध्यक्ष -1,(3)सचिव -1,(4)कोषाध्यक्ष -1,(5)संयुक्त सचिव -1,(6)सदस्य -2

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल-** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. **प्रबंधककारिणी के अधिकार व कर्तव्य-**

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों,शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।

(च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जाऐगी।

15. **अध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. **सचिव(मंत्री) के अधिकार-**

w.mponline.gov.in/Portal/services/firmsandsociety/OrgsUser/frmViewSocietyNiyamwali.aspx?AppNo=S31501017296101220148langid=hi-IN&m

	(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना। (2) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना। (3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना। (4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपये 15000 व्यय करने का अधिकार होगा।
18.	**संयुक्त सचिव के अधिकार-** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा
19.	**कोषाध्यक्ष के अधिकार-** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
20.	**बैंक खाता-** संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ओफिस में रहेगी, धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 15000 रहेंगे।
21.	**पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी-** अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 के दिन भीतर विहित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयो को परीक्षित लेखा भेजेगी।
22.	**संशोधन-** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/ 3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।
23.	**विघटन-** संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/ 5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
24.	**सम्पत्ति-** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।
25.	**पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना-** संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निष्चित कर सकेगा।
26.	**विवाद-** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निष्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य

mponline.gov.in/Portal/services/firmsandsociety/OrgUser/frmViewSocietyNiyamwali.aspx?AppNo=S3150101729610122014&langid=hi-IN&m=

Reg. no. 03/27/03/17501/14

A/c
O/c

Reg. no. 03/27/03/17501/14

DEV LAXMI SHAIKSHANIK SANSTHAN

22, SHANTI VIHAR COLONY, KANADIYA ROAD, INDORE [M.P.] 452001

S.no. F/01-21 Date. 25/06/2021

To,
The Assistant Registrar,
Firms & Societies,
Indore (M.P.)

Subject – Regarding submission of Section 27-28 information.

Sir,

DEV LAXMI SHAIKSHANIK SANSTHAN, 22, SHANTI VIHAR COLONY, KANADIYA ROAD, INDORE [M.P.] 452001 Registration No. **03/27/03/17501/14** DATE 27/12/2014.

With reference to above we are submitting Section 27-28 information herewith the following documents.

1- Form no. 7 duly signed of year 2015 ~~to~~ and 2020 (TO-2018)
2- Chalan Rs. 21000/- No. **SBIN00061591475270320212347 2**
3- Audit Report - Year 2015 to 2020

President
अध्यक्ष
देवलक्ष्मी शैक्षणिक संस्थान इन्दौर
NIRAJ PATIDAR

FORM-7

[See rule 11]

Proforma for submitting information of the list of Governing body under section 27 of the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 [No. 44 of 1973]

1- Name of the Society & complete Address :- **DEV LAXMI SHAIKSHANIK SANSTHAN 22, SHANTI VIHAR COLONY, KANADIYA ROAD, INDORE [M.P.] 452001**

2- Registration Number and Date :- **03/27/03/17501/14 Date 27/12/2014**

3- Date of Annual General Body Meeting :- 20/08/2020

4- List of existing bearer's tenure :- 20/08/2018 to 20/08/2021

SR. no.	Name & Father's/ Husband's Name	Address	Post Held	Occupation	Signature
1.	NIRAJ PATIDAR S/o. RADHESHYAM PATIDAR	FLAT NO. 301, RADHEKRASHAN APART. SARVASAMPANN NAGAR, INDORE	President	BUSINESS	
2.	SACHIN HADIYA S/o. GIRJESH HADIYA	GULANA JILA, SHAHJAPUR	Vice President	BUSINESS	
3.	BALRAM PATIDAR S/o. RADHESHYAM PATIDAR	FLAT NO. 301, RADHEKRASHAN APART. SARVASAMPANN NAGAR, INDORE	General Secretary	BUSINESS	
4.	DEVRAT PATIDAR S/o. RAMCHANDRA PATIDAR	26, SHRI RAM NAGAR, KANADIYA ROAD, INDORE	Treasurer	BUSINESS	
5.	KELASH GOTHI S/o. MANSINGH GOTHI	21, SHANTI VIHAR COLONY, KANADIYA ROAD, INDORE	Joint Secretary	BUSINESS	
6.	ARJUN PATIDAR S/o. OMPRAKASH PATIDAR	212-B, AYODHYAPURI COLONY, KODRIYA, INDORE	Member	BUSINESS	
7.	MADHAV PATIDAR S/o. RAMCHANDRA PATIDAR	21, SHANTI VIHAR COLONY, KANADIYA ROAD, INDORE	Member	BUSINESS	

5- The annual fees under section 27 of the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (no. 44 of 1973) of Rs. 21000/- has been deposited with challan no. SBIN00061591475270320212347 2 date 27/03/2021 Original copy thereof is enclosed.

DECLARATION

I NIRAJ PATIDAR S/o. RADHESHYAM PATIDAR aged about 28 years, in form of authorized officer, hereby declares that the aforesaid information is true being based on the record of the society and to the best of our knowledge, I undersigned authorized signatory officer is in possession of the record of the Society. I know, if any false information is submitted by me, then I shall be liable for punishment under sub section (2) of section 38 of the said Act.

SIGNATURE

(PRESIDENT)

देवलक्ष्मी शैक्षणिक संस्था, इन्दौर